ा ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब दिनांक 07.12.2021 एवं प्रस्तुत राजीनामा दिनांक .2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी ग तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में नी सहमति व्यक्त कि है।

हमारी राय में मौजा जूजांला के वादग्रस्त खेताय में सहखोदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बटंवाड़ा करवा सकते है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ढगालाई वादी कि माता है एवं स्व. जस्साराम की पत्नि है, एवं इसका नाम भी प्रथक करना चाहते है जो कि खातेदारी अधिकारों के निरव्यापन की श्रेणी में आता है, अतः हम वादी शौकिन एवं प्रतिवादी संख्या 2 ढगलाई को सहखातेदार घोषित करते है। चुकि वादग्रस्त खेताय में पक्षकारान द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के मुतदाविया खेताय में से कोइ भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतित होता है एवं मौजा जुजांला खाता संख्या 124 के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि में से वादी शौकिन व प्रतिवादी संख्या 2 ढगलाई के सहखातेदारी में 0.85795 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि में से 0.85795 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी बंटवाड़ा खेताय अधीन धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा जूजांला के खाता संख्या 124 के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.759 हैक्टेयर भूमि में निम्नानुसार बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी कि घोषणा कि जाती है–

1. वादी शौकिन व प्रतिवादी संख्या 2 ढगलाई के हिस्से में मौजा जूजांला के खाता संख्या 124 खसरा नम्बर 139 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि में से 0.85795 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा बंट, कब्जा काश्त व सहखातेदारी में घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण के हिस्से में मौजा जूजांला के खाता संख्या 124 के खसरा नम्बर 139 रकबा 1.7159 हैक्टेयर भूमि में से 0.85795 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिए **प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

30/12/2024

(रवीन्द्र कुमार)

Scanned with CamScanner